न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–105/2012

मालती देवी.....वादिनी

बनाम

नन्दकिशोर शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.08.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 04.12.2024 अंदर आदेश 13 नियम 01 एवं धारा–151 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 07.08.2025 को आदेश हेतु नियत है। प्रस्तुत वाद में, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रतिवादी सं0–01 द्वारा माननीय न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 5/2021 दाखिल किया गया है जिसमें प्रस्तुत वाद के वादिनी उपस्थित हो गई है। प्रतिवादीगण द्वारा स्वत्व वाद सं0–5/2021 नन्द किशोर शर्मा बनाम मालती देवी वगैरह में वादी का वादपत्र तथा प्रतिवादी मालती देवी के द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी दिनांक 16.05.2023 का सच्ची प्रतिलिपी प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त कर दाखिल किया गया है, जो वाद के न्याय निर्णय हेतु आवश्यक है। ये लोक दस्तावेज है, जिसे प्रदर्श अंकित किया जाए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात को अभिलेख पर रखने की अनुमति देते हुए प्रदर्श अंकित करने की कृपा किया जाय। वादिनी के द्वारा कोई प्रत्युतर दाखिल नहीं किया गया, लेकिन प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया और आवेदन को खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादीगण ने एक आवेदन दिनांक 04.12.2024 अंदर आदेश 13 नियम 01 और धारा–151 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है एवं निवेदन किया है कि आवेदनानुसार प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात को अभिलेख पर रखने की अनुमति देते हुए प्रदर्श अंकित किया जाए। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में दिनांक 04.03.	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–105/2012

मालती देवी.....वादिनी

बनाम

नन्दकिशोर शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 07.08.2025	2025 को कहा गया कि प्रतिवादी के आवेदन दिनांक 04.12.2024 का प्रत्युत्तर नहीं देना है। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अभिलेख प्रतिवादीगण क बहस हेतु चला आ रहा है। अभिलेख दिनांक 04.12.2024 के पूर्व प्रतिवादीगण के बहस हेतु चला आ रहा था। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी का साक्ष्य दिनांक 16.01.2018 को ही बंद हो गया था। प्रतिवादीगण के द्वारा बंद साक्ष्य को खुलवाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का आवेदन पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 04.12.2024 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। आगामी दिनांक 03.09.2025 वास्ते बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	